



Indian Council of Agricultural Research  
Krishi Bhawan, New Delhi –110012

F.No.Edn.7/7/2017-EQR

Date 5 Sept, 2017

**PUBLIC NOTICE**

Indian Council of Agricultural Research (ICAR) is a Society established under Societies Registration Act, 1860 with a mandate to undertake, aid, promote and coordinate agricultural education, research and extension. It is an autonomous organization under the Department of Agricultural Research and Education (DARE), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India.

A large number of queries are being received by the ICAR from the stakeholders, students, institutions, parents, colleges, universities, schools, organizations etc. seeking clarification of the terms 'Recognition' & 'Accreditation' and procedure to obtain approval for opening a new institution, which are clarified as under:

- Because of its non-statutory status, ICAR does not give 'Recognition' or 'Affiliation' to any university/institution/organization or any course/ programme/degree offered by such institution. The ICAR provides only 'Accreditation' to university/institution/organization or faculty/college/school of agriculture of the institution or any course/ programme /degree offered by such institution in agriculture and allied subject for quality assurance in higher agricultural education once first batch students of programme are passed out from the university/institution/college.
- ICAR does not give approval for permission to open/start/close of college/institution/University to offer programmes in agricultural science in a particular State as the agriculture and agriculture education are State subjects (Entry 14 under List II). However, it is required that all the institutions offering academic programmes in agricultural science to comply with the minimum requirements and academic regulations prescribed by ICAR to achieve uniformity and wider acceptability of the programmes throughout the country.
- Accreditation is a self-regulation and peer review process to improve and sustain the quality and relevance of higher education. It is a recurring process and intends for improving marketability of students nationally and internationally. ICAR accreditation is a voluntary process and an institution/programme can be accredited by more than one agency.
- Further details on accreditation are available on ICAR home page ([www.icar.org.in](http://www.icar.org.in)) at link "National Agricultural Education Accreditation Board".

This is issued with the approval of competent authority of ICAR.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Levety', is written over the printed name 'Secretary'.

Secretary  
National Agricultural Education Accreditation Board

## कृषि भवन नई दिल्ली- 110012

**सार्वजनिक सूचना का हिंदी अनुबाद**

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर/ICAR) एक सोसायटी है, जिसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत स्थापित किया गया है, जो कृषि शिक्षा अनुसंधान और विस्तार को शुरू करने, सहायता, बढ़ावा देने और समन्वय करने के लिए एक जनादेश के साथ है। यह कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग (डेयर/DARE) के तहत एक स्वायत्त संगठन है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।

प्रश्नों की एक बड़ी संख्या हितधारकों, छात्रों, संस्थानों, माता-पिता, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों, स्कूलों, संगठनों आदि से आईसीएआर द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, एक नया संस्थान खोलने के लिए 'मान्यता' और 'प्रत्यायन (आधिकारिक मान्यता / Accreditation)' और प्रक्रिया की स्वीकृति प्राप्त करने की प्रक्रिया की मांग करना, जो कि निम्नानुसार स्पष्ट हो ;

- अपनी गैर-वैधानिक स्थिति के कारण, आईसीएआर किसी भी विश्वविद्यालय / संस्थान / संगठन या ऐसी संस्था द्वारा प्रस्तावित किसी भी पाठ्यक्रम / कार्यक्रम / डिग्री को मान्यता या संबद्धता नहीं देता है। आईसीएआर केवल 'प्रत्यायन (आधिकारिक मान्यता / Accreditation)' प्रदान करता है , विश्वविद्यालय / संस्थान / संगठन या संकाय / कॉलेज / संस्थान के कृषि के स्कूल या कृषि में ऐसी संस्था द्वारा की पेशकश की किसी भी पाठ्यक्रम / कार्यक्रम / डिग्री और उच्च कृषि शिक्षा में गुणवत्ता आश्वासन के लिए संबद्ध विषय में एक बार पहले बैच के छात्रों को विश्वविद्यालय / संस्थान / कॉलेज से पास कर लिया जाता है:
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर/ICAR) , किसी विशेष राज्य में कृषि विज्ञान में कार्यक्रम की पेशकश करने के लिए स्कूल / कॉलेज / संस्था / विश्वविद्यालय खोलने / शुरू / बंद करने की अनुमति नहीं देता है क्योंकि कृषि और कृषि शिक्षा राज्य विषय हैं (सूची -II के तहत प्रवेश 14)। हालाँकि, यह आवश्यक है कि कृषि विज्ञान में अकादमिक (शैक्षणिक) कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले सभी संगठन देश भर में कार्यक्रमों की एकरूपता और व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त करने के लिए आईसीएआर द्वारा निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं और अकादमिक नियमों का पालन करें।
- मान्यता उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता को सुधारने और बनाए रखने के लिए एक स्व-विनियमन और सहकर्मी समीक्षा प्रक्रिया है। यह पुनरावर्ती प्रक्रिया है और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छात्रों की बाजार क्षमता में सुधार लाने का इरादा रखता है। **आईसीएआर मान्यता एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है**, और एक संस्था / कार्यक्रम को एक से अधिक एजेंसियों द्वारा मान्यता प्राप्त किया जा सकता है

यह आईसीएआर के सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के साथ जारी किया जाता है

सचिव

राष्ट्रीय कृषि शिक्षा मान्यता बोर्ड (NAEAB)

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद  
**INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH**

कृषि अनुसंधान भवन-II, पूसा, नई दिल्ली-110012

Krishi Anusandhan Bhawan-II, Pusa, New Delhi - 110 012

Website: www.icar.gov.in

F.No. Accre.-6(1)/2019-EQR/Edn(Part-2)

Dated : 1<sup>st</sup> May, 2023


**Notification**

As per the decision of the National Agricultural Education Accreditation Board (NAEAB) in its 33<sup>rd</sup> meeting held on March 29, 2023, and agenda note no. 3.9, Board considered proposal from ADG (HRD) regarding delinking of ICAR accreditation with ICAR's All India Entrance Examination for UG, PG and Ph.D. for admissions in Agricultural Universities (AUs) under ICAR AU system, and after due deliberation, approved the following:

1. Delinking of eligibility of ICAR accreditation with All India Quota UG/PG/Ph.D. admission in ICAR-AU-System including SAUs, CAUs, DUs and CU, with Agriculture Faculty. As such, ICAR accreditation of the passing-out students from University /College /Programme shall not be mandatory for admission in UG/PG/Ph.D. Programmes for ICAR- All India Quota Seats from academic year 2023-24.
2. To continue allotment of ICAR- All India Quota seats for UG/PG/Ph.D. only in ICAR-AU system (74 universities).
3. Discontinuance of restriction of obtaining more than two degree from the same University.

Further, considering the matter as policy decision, ADG(HRD) shall take all necessary steps to seek approval of appropriate authorities in the matter including Governing Body of ICAR, if required.

Yours faithfully,

  
(Rajesh Kumar Jha)

Dy. Secretary (Agril Education & NAHEP)

Copy to:

1. PSO to Secretary, DARE & DG, ICAR, Krishi Bhawan, New Delhi-110001.
2. Sr. PPS to AS, DARE & Secy ICAR, Krishi Bhawan, New Delhi-110001.
3. PPS to AS&FA, DARE/ICAR, Krishi Bhawan, New Delhi-110001.
4. PPS to DDG, Agril Edn, KAB-II, Pusa Campus, New Delhi-110012.
5. ADG(HRD)/ CoE, KAB-II, Pusa Campus, New Delhi-110012.
6. ADG (EQR)/ Coordinator (Accreditation), KAB-II, Pusa Campus, New Delhi-110012.
7. Director (Agril. Edn.), KAB-II, Pusa Campus, New Delhi-110012.

एफ.सं. Accre.-6(1)2019-EQR/Edn(Part-2)

दिनांक: 1 मई, 2023


अधिसूचना

राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड (एनएईएबी) की 29 मार्च, 2023 को हुई 33वीं बैठक में लिए गए निर्णय और एजेंडा नोट संख्या 3.9 के अनुसार, बोर्ड ने एडीजी (एचआरडी) के आईसीएआर की अखिल भारतीय मान्यता को आईसीएआर की मान्यता से अलग करने के प्रस्ताव पर विचार किया। आईसीएआर एयू सिस्टम के तहत कृषि विश्वविद्यालयों (एयूएस) में प्रवेश के लिए यूजी, पीजी और पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा, और उचित विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित को मंजूरी दी:

1. अखिल भारतीय कोटा यूजी/पीजी/पीएचडी के साथ आईसीएआर मान्यता की पात्रता को अलग करना। कृषि संकाय के साथ SAUS, CAUS, DUS और CU सहित ICAR-AU-सिस्टम में प्रवेश। इस प्रकार, यूजी/पीजी/पीएचडी में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय/कॉलेज/कार्यक्रम से पास आउट छात्रों की आईसीएआर मान्यता अनिवार्य नहीं होगी। शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से आईसीएआर- अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए कार्यक्रम।
2. यूजी / पीजी / पीएचडी के लिए आईसीएआर- अखिल भारतीय कोटा सीटों का आवंटन जारी रखने के लिए। केवल आईसीएआर- एयू सिस्टम (74 विश्वविद्यालयों) में।
3. एक ही विश्वविद्यालय से दो से अधिक डिग्री प्राप्त करने के प्रतिबंध को समाप्त करना,

इसके अलावा, मामले को नीतिगत निर्णय मानते हुए, एडीजी (एचआरडी) आवश्यक होने पर आईसीएआर के शासी निकाय सहित मामले में उपयुक्त अधिकारियों की मंजूरी लेने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।

आपका विश्वासी।

  
(Rajesh Kumar Jha)

उप। सचिव (कृषि शिक्षा और एनएएचडीपी)

में कॉपी:

1. सचिव, डेयर एवं महानिदेशक, आईसीएआर, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 के पीएसओ।
2. एएस, डेयर एवं सचिव आईसीएआर, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 के वरिष्ठ पीपीएस। 3. AS&FA.DARE/CAR, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 के पीपीएस।
4. डीडीजी के पीपीएस, एग्रील एडन, केएबी-II, पूसा कैंपस, नई दिल्ली-110012।
5. एडीजी (एचआरडी) सीओई, केएबी-II, पूसा कैंपस, नई दिल्ली-110012।
6. एडीजी (ईक्यूआर) समन्वयक (मान्यता), केएबी-11, पूसा कैंपस, नई दिल्ली-110012।
7. निदेशक (कृषि. संस्करण), केएबी-II, पूसा कैंपस, नई दिल्ली-110012।